

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 मई 2014—वैशाख 23, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 मई 2014

क्र. 2622-128-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक १ सन् २०१४.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४.

["मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १३ मई, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.]

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यतः, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २३ सन्
१९५६ का अस्थायी
रूप से संशोधित
किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्वधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा १० का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा १० में, उपधारा (१) के परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि ऐसे नगरपालिक क्षेत्रों में जिनकी जनसंख्या सत्रह लाख से अधिक हो, अधिकतम पचासी वार्ड हो सकेंगे.”

भोपाल:

तारीख १३ मई, सन् २०१४.

राम नरेश यादव

राज्यपाल

मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक १३ मई २०१४

क्र. २६२३-१२८-इक्कीस-अ(प्रा.).— भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (क्रमांक १ सन् २०१४) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 1 OF 2014.

THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2014.

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 13th May, 2014.]

Promulgated by the Governor in the sixty-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956.

WHEREAS, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

- | | |
|--|--|
| 1. This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2014. | Short title. |
| 2. During the period of operation of this Ordinance, the Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23, 1961) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in Section 3. | Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956 to be temporarily amended. |
| 3. In section 10 of the principal Act, in the proviso to sub-section (1), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that a municipal area having population of more than seventeen lakh, may have maximum eighty five wards." | Amendment of Section 10. |

BHOPAL :
DATED THE 13th May, 2014

RAM NARESH YADAV
Governor
Madhya Pradesh.